

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक 12 :अप्रैल- 2018,

-:: आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल-
2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

| क0सं0 01 | बैठने का स्थान 02 | कार्य आवंटन 03 | कार्य- अवधि 04 | युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05 |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1- | पीठ-झॉसी | पीठ-झॉसी | 16.04.18 से 20.04.18 | पीठ-झॉसी (न्याय0) व पीठ फ़ैजाबाद (वि0) |
| 2- | मुख्यालय | पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ | 16.04.18 से 20.04.18 | अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण (न्याय0) व पीठ-प्रथम लखनऊ (न्याय0) |
| 3- | पीठ-1 मेरठ | पीठ-1 व 2 मेरठ | 16.04.18 से 20.04.18 | पीठ-1, मेरठ (न्याय0) व पीठ-2, मेरठ (वि0) |

ह0-12.4.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/693/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।